दिनांक 29.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 42/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के निधन पर उनकी स्मृति में पुलिस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन

आज दिनांकः 29.07.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ स्थित सभागार में श्री के0एल0 गुप्ता (आईपीएस–आरआर–1965) सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक के दिनांकः 23.07.2025 को हुये निधन के परिपेक्ष्य में शोक–सभा का आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण द्वारा दिवंगत पुलिस अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा श्री के0एल0 गुप्ता जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया।

श्री के0एल0 गुप्ता जी का जन्म 10 अक्टूबर, 1941 को जनपद बाँदा में हुआ था।

श्री के0एल0 गुप्ता जी वर्ष 1965 में "भारतीय पुलिस सेवा" में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त वह सहायक पुलिस अधीक्षक मेरठ, उप सेनानायक विशेष सुरक्षा बल मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया, बस्ती, कानपुर देहात, उपायुक्त व्यापार कर कानपुर नगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी, पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, सतर्कता लखनऊ, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, सहायक महानिरीक्षक पीएसी मुख्यालय लखनऊ, सहायक महानिरीक्षक विशेष अपराध लखनऊ एवं सेनानायक 11वीं वाहिनी पीएसी के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1983 में वह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये, जहाँ पुलिस उपमहानिरीक्षक आईटीबीपी के पद पर देहरादून में नियुक्त रहे। वर्ष 1990 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1991 में 'पुलिस महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक आवास निगम लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक इलाहाबाद जोन, पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय लखनऊ, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ एवं पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1994 में "अपर पुलिस महानिदेशक" के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा लखनऊ, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ, तकनीकी सेवायें लखनऊ, सहकारिता प्रकोष्ठ लखनऊ एवं अपर पुलिस

महानिदेशक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 1997 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी लखनऊ एवं पुलिस महानिदेशक अभियोजन लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। दिनांक:31.10.2001 को वह अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुये। वर्ष 1998 में उनके कार्यकाल के दौरान यूपी पुलिस में एसटीएफ की स्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे में बड़ी सफलता प्राप्त की गयी। श्री के0एल0 गुप्ता जी का दिनांकः 23.07.2025 को दुःखद निधन हो गया है। श्री के0एल0 गुप्ता जी अपने पीछे पत्नी श्रीमती वीना गुप्ता, पुत्र श्री विशाल (जो तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित डिफेंस स्टाफ कॉलेज में कमोडोर और प्रशिक्षक हैं) एवं पुत्री चारु (जो न्यूयार्क, यूएसए में एक कॉर्पोरेट एक्जीक्यूटिव हैं) व उनका भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

श्री के0एल0 गुप्ता जी ने सेवाकाल में पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य सम्पादित कर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया है। श्री के0एल0 गुप्ता जी का लगभग 36 वर्षों से अधिक का सेवाकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। सेवाकाल के दौरान इन्हें गणतन्त्र दिवस 1982 के अवसर पर ''दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक'' एवं स्वतन्त्रता दिवस 1988 के अवसर पर "विशिष्ट सेवाओं के राष्ट्रपति का पुलिस पदक" से सम्मानित किया गया है।

RAJEEV KRISHNA

दिनांक 29.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 43/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा मात्र 19 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी छात्रा की जान

दिनांक 29–07–2025 को जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट निवासी छात्रा उम्र लगभग 18 वर्ष द्वारा पंखे में दुपट्टे से फाँसी का फंदा बनाकर फंदे को गले में डालने की फोटो के साथ **"गुड बाय इन माय लाइफ"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 29–07–2025 को रात्रि 00:48 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्णा द्वारा उक्त अलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्रा की लोकेशन की जानकारी करके जनपद गोरखपुर को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना बेलघाट के उ0नि0 मय महिला आरक्षी के मात्र 19 मिनट के अन्तराल में छात्रा के घर पहुंच गए एवं परिजनों से तत्काल छात्रा के सम्बन्ध में जानकारी कर, परिजनों को साथ लेकर छात्रा के पास पहुंचे और छात्रा के गले से फन्दा निकाल कर उसे नीचे उतारा गया। उप निरीक्षक मय महिला आरक्षी द्वारा परिजनों के सहयोग से छात्रा का अविलम्ब प्राथमिक उपचार किया गया। छात्रा के सामान्य होने पर पुलिसकर्मियों द्वारा जानकारी करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह कक्षा 12 की छात्रा है, कुछ समय पूर्व उसके ब्वॉयफ्रेंड से झगडा हुआ और अब उसका ब्वॉयफ्रेंड उससे बात नहीं कर रहा है। इसी कारण छात्रा द्वारा मानसिक रूप से परेशान होकर भावावेश में आकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवती को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवती द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवती के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01–01–2023 स 25–07–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 1181 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

दिनांक 29.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 55 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 28.07.2025 की रात्रि थाना कोतवाली शामली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बहावड़ी मार्ग पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्की घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 55 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लुकमान उर्फ लुक्की निवासी ग्राम भनवाड़ा थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—लूट के 55 हजार रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना औंग

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 29.07.2025 को थाना औंग पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रानीपुर पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना औंग पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित निवासी कस्बा व थाना औंग जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद जालौन/थाना को0कालपी

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 15 कुन्तल सरिया**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2025 को थाना को0कालपी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बरदौली बम्बा नहर पुलिया के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–कल्लू उर्फ मुन्ना घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सुनील 3–संतोष 4–ओम प्रकाश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 15 कुन्तल सरिया, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 ट्रक आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कल्लू उर्फ मुन्ना के विरूद्ध जनपद महोबा, उन्नाव व कानपुर देहात के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त सुनील के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, गोण्डा, महोबा व कन्नौज के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त संतोष के विरूद्ध जनपद उन्नाव व कन्नौज के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग, एवं अभियुक्त ओम प्रकाश के विरूद्ध जनपद अमेठी,

उन्नाव, गोरखपुर, बाराबंकी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना को0कालपी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कल्लू उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम बाबू खेडा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

2–सुनील निवासी ग्राम कुरारी कला थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

3–संतोष निवासी ग्राम नथईखेडा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव।

4–ओम प्रकाश निवासी ग्राम सधीरा थाना अजगैन जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1–चोरी के 15 कुन्तल सरिया।

2–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 ट्रक आदि।

जनपद मऊ/थाना कोपागंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 209 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 28.07.2025 को थाना कोपागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काछीकला ओवरब्रिज के पास से 03 अभियुक्तों 1–रंजन कुमार 2–चन्दन कुमार 3–वरूण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 209 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजन कुमार निवासी हिंगावा थाना डोरीगंज जनपद छपरा बिहार।

2—चन्दन कुमार निवासी सुरौधा कॉलोनी वार्ड नं0—11 थाना कोइलावर जनपद भोजपुर आरा बिहार।

3—वरूण कुमार निवासी सुरौधा कॉलोनी वार्ड नं0—11 थाना कोइलावर जनपद भोजपुर आरा बिहार।

बरामदगी

1—लगभग 08 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 209 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर।

2—01 ट्रक आदि।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना बण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना बण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि, 5(छ)/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त निरंकार सिंह को आजीवन कारावास व 01 लाख 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हुसैनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हुसैनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना मिर्जामुराद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना मिर्जामुराद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 137(2)/115(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इरफान को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————